न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

R-1174-I/2011

महिला लच्छी वेवा हल्कू यादव निवासी ग्राम धनवाहा

तहसील जिला टीकमगढ़ म0 प्र0 ....आवेदिका

विरूद्व

1 रामनाथ तनय भैयालाल यादव

2 बीरन तनय रतन यादव निवासी ग्राम धनवाहा

3 कनई लाल तनय हल्के यादव वारिस महिला गुँदिया यादव

निवासी ग्राम सागौनी तहसील जिला टीकमगढ़ म0प्र0 .... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959

आवेदिका की ओर से निम्न प्रार्थना है

1 यह कि आवेदिका यह निगरानी अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर द्वारा प्र0 क0 1447/अ-6/96-97 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 21/11/2006 से परिबेदित होकर कर रही हैं, जिसके साथ धारा 05 भारतीय म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र भी शपथपत्र सहित प्रस्तुत है।

2 यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विबरण इस प्रकार है कि ओरछा राज्य द्वारा फुन्दी तनय रघुवर अहीर नामक ब्यक्ति को ग्राम धनवाहा तहसील टीकमगढ़ में ख0 नं0 691 में रकवा 0.26 एकड़ का पटटा संवत 2001 में मिला था,तभी से फुन्दा उपरोक्त रकवे पर मालिक काबिज चला आ रहा था । फुनदा लाऔलाद फौत हो गया था।

3 यह कि फुन्दा के वारिसों में उसकी बहिन गुँदिया तथा सौतेले भाई की पत्नि लच्छी , जो इस प्रकरण में आवेदिका है , मात्र थे। रिसपॉडेंटगण 1 ,2 का मृतक भूमिस्वामी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है।

4 यह कि रिस्पॉडैंटगण ने तहसीलदार टीकमगढ़ के न्यायालय से नामांतरण पंजी क0 05 दिनाूक 09/03/1995 के द्वारा फुन्दी के नाम की भूमि पर वारिसान हक में अपना नाम दर्ज करा लिया । वादग्रस्त भूमि पर वर्तमान में भी आवेदिका ही काबिज चली आ रही है।

B.O.R.

21 JUL 2011

XXXIX(a)-BR(H)-11

(10)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-1175-I/11 जिला टीकमगढ़

लछ्छी/रामनाथ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-10-16	आवेदक अभि. श्री राजेन्द्र पटेरिया उप.। आवेदक अभि. द्वारा निवेदन किया गया कि इस प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। आवेदक अभि. का निवेदन स्वीकार करते हुये प्रकरण Not Press में [illegible] समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। [signature] सदस्य	[signature] राजेन्द्र पटेरिया [signature] 25/10/16 [illegible] [signature] 25/10
[signature]		